H.P. State Legal Services Authority, Shimla

Photograph of Activities of Awareness Programme on Constitution and Fundamental Duties

1. DLSA Chamba

District Meet of Police Officials/Officers and a Talk on Role of Police in enforcing Fundamental as well as Legal Rights of Individuals.

District Meet of Police Officials/Officers and a Talk on Role of Police in enforcing Fundamental as well as Legal Rights of Individuals.

A meet of Panchayat representatives of Chamba Block and a Talk on Preamble of the Constitution of India, Fundamental Duties and Role of Panchayati Raj Institutions in upholding Human Rights.

A meet of Panchayat representatives of Chamba Block and a Talk on Preamble of the Constitution of India, Fundamental Duties and Role of Panchayati Raj Institutions in upholding Human Rights.

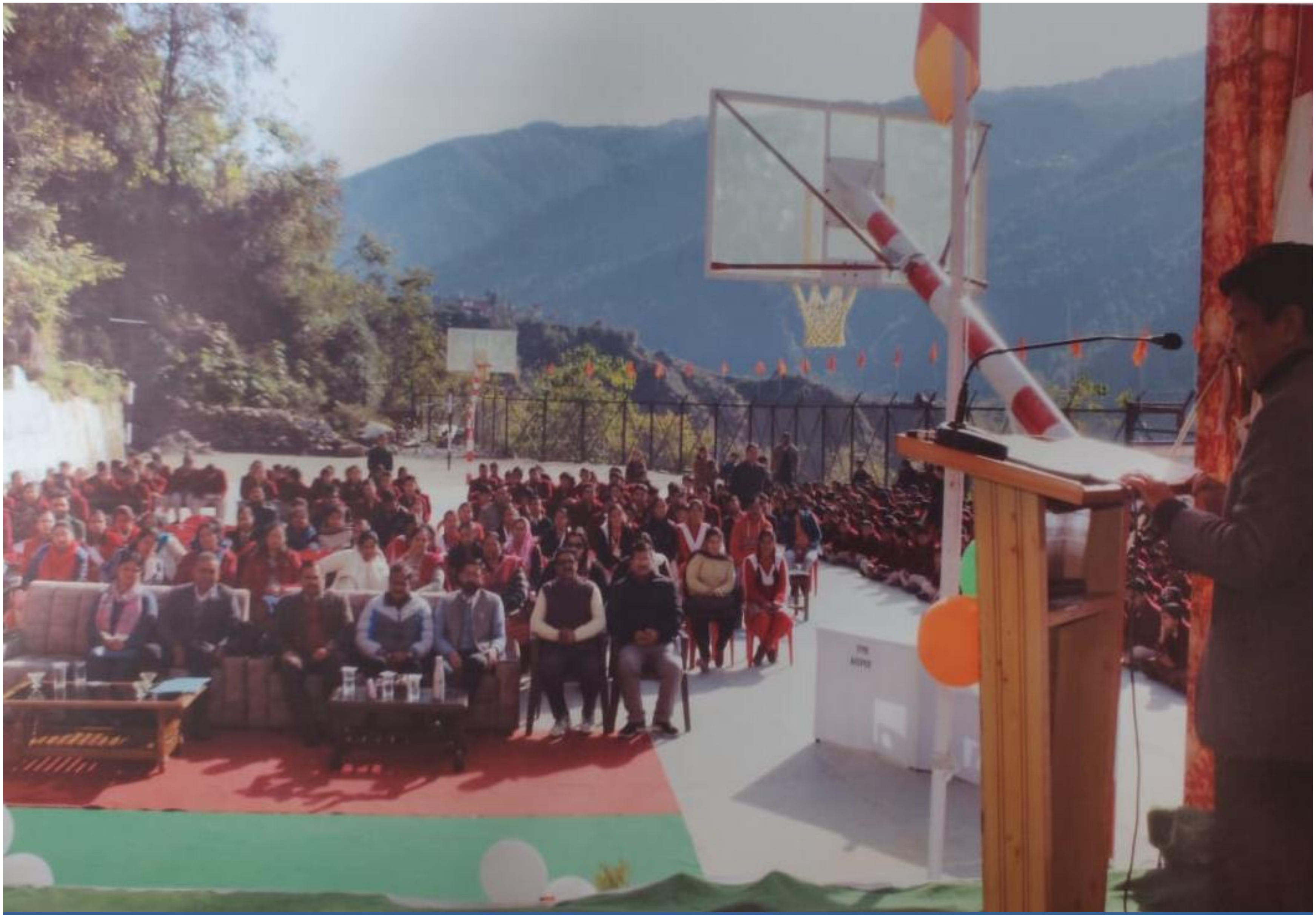

Declamation Contest on "Importance of Fundamental Duties under the Constitution of India for students of 9th to 12th classes of schools in Sub Division Chamba.

DLSA Mandi

Legal Awareness Camp on Fundamental Duties organized at Pipli, Tehsil Jogindernagar and 170 persons attended the camp.

Legal Awareness Camp on Fundamental Duties at Thaltukhod, Tehsil Jogindernagar and 150 persons attended the camp.

3. DLSA Hamirpur

Awareness camp on Fundamental Duties by Sh. Amit Sharma Advocate, in Govt. Boys Sr. Secondary School, Naduan, Hamirpur.

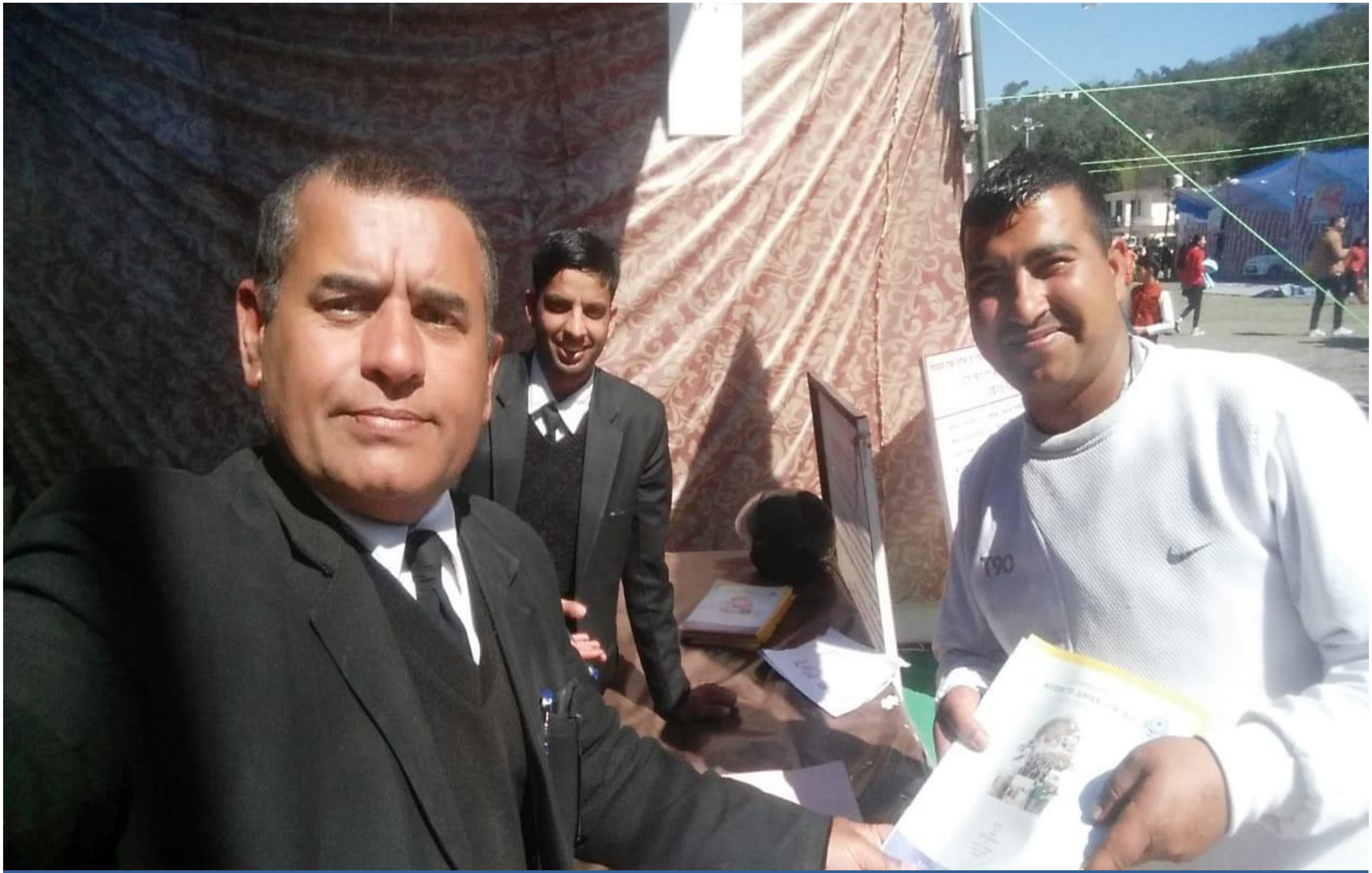

A legal Awareness Camp on Fundamental Duties for general public organized during the Holi Fair at Sujanpur by resource person Sh. Ashwani Kumar Advocate, Hamirpur.

A legal Awareness Camp on Fundamental Duties for general public organized during the Holi Fair at Sujanpur.

4. DLSA Kangra

A Camp/ Quiz competition organised by Secretary, DLSA, Kangra at Dharamshala on Fundamental Duties in Balika Ashram Garli at Muhin, (Dehra) on 21/01/2020 in which 39 inmates participated. After competition inmates were addressed with special focus on Fundamental Duties.

A Mega Camp was also organised on Fundamental Duties by Secretary, DLSA, Kangra at Dharamshala in G.A.V. Public School Kangra on 22/01/2020.

A Camp/Declamation on Fundamental Duties organized by Secretary, DLSA, Kangra at Dharamshala in PACFC, institute Dharamshala on 12/02/2020. After declamation students were addressed on Preamble of Constitution & Fundamental Duties.

A camp on Fundamental Duties & 70th year of adoption of Constitution of India was organised by Secretary, DLSA, Kangra at Dharamshala in Govt. Model Sr. Sec. School, Dehraon 18/02/2020.

5. DLSA Kinnaur

A Legal Literacy Programme on Fundamental Duties and Preamble of Constitution organized at GSSS Nogali.

A Legal Literacy Programme on Fundamental Duties organized at GSSS (Girls), Rampur Bushehar.

6. DLSA Kullu

A Legal Awareness Programme on Fundamental Duties organized at Gram Panchayat Achandi.

A Legal Awareness Programme on Fundamental Duties organized at Govt. College Kullu

A Legal Awareness Programme on Fundamental Duties organized at GP Kalehali.

मुफ्त कानूनी सहायता को आवेदन सरल

शाढ़ाबाई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, लोगों को किया जागरूक

संवाद न्यूज एजेंसी

कुल्लू। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से रविवार को शाढ़ाबाई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने की। कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल हो गई है।

ग्राम पंचायत मशगां और कलैहली के लोगों को मौलिक अधिकारों के साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने कहा कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन इनके साथ ही देश और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। हमें अधिकारों के साथ-साथ देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। हमारे समाज में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से इसकी चपेट में आ रही है। इसे रोकने के लिए हर नागरिक को आगे आना चाहिए। आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना आरंभ की है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है। पात्र लोगों की सुविधा के लिए हर न्यायिक परिसर में फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं। इनमें आवेदन कर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर

शाढ़ाबाई में विधिक साक्षरता शिविर के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य और अन्य लोग। -संवाद

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अनिल शर्मा ने भी लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता योजना और नालसा की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोहन सिंह गुलेरिया ने मोटर वाहन अधिनियम, शिवानी ने घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम के बारे में बताया। इस दौरान मशगां की प्रधान सुनीता देवी, कलैहली की प्रधान शीला देवी आदि मौजूद रहे।

मुफ्त कानूनी सहायता को आवेदन सरल

शाढ़ाबाई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, लोगों को किया जागरूक

संवाद न्यूज एजेंसी

कुल्लू। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से रविवार को शाढ़ाबाई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने की। कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल हो गई है।

ग्राम पंचायत मशगां और कलैहली के लोगों को मौलिक अधिकारों के साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने कहा कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन इनके साथ ही देश और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। हमें अधिकारों के साथ-साथ देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। हमारे समाज में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से इसकी चपेट में आ रही है। इसे रोकने के लिए हर नागरिक को आगे आना चाहिए। आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना आरंभ की है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है। पात्र लोगों की सुविधा के लिए हर न्यायिक परिसर में फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं। इनमें आवेदन कर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर

शाढ़ाबाई में विधिक साक्षरता शिविर के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य और अन्य लोग। -संवाद

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अनिल शर्मा ने भी लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता योजना और नालसा की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोहन सिंह गुलेरिया ने मोटर वाहन अधिनियम, शिवानी ने घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम के बारे में बताया। इस दौरान मशगां की प्रधान सुनीता देवी, कलैहली की प्रधान शीला देवी आदि मौजूद रहे।

कुल्लू में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानून जानकारी देते हुए। *अमर उजाला*

विद्यार्थियों को बताया संविधान का महत्व

कुल्लू। संविधान दिवस को लेकर शुक्रवार को कुल्लू कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश और चेयरमैन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पुरेंद्र वैद्य ने बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान का भाग-4 में राज्यों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि पॉलिसी के लिए और नीतियां निर्धारण करने के लिए अनुच्छेद नौ में राज्यों का यह दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि सामाजिक न्याय के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सलाह दें और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का कोई न कोई फायदा दिया जाए। पुरेंद्र वैद्य ने कहा कि हमारे देश में कानून सर्वोपरि है और जो भी सरकारें काम करेंगी वे कानून के तहत करेंगी, सरकार के सभी अंग कानून से जुड़े या बंधे हुए हैं। ऐसे में सबसे सर्वोच्च कानून जो है वो हमारा संविधान है। कहा कि कानून का जो अंतिम उद्देश्य है, वह न्याय देना है और न्याय का मतलब है कि किसी के साथ गलत न हो। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संविधान के बारे में कहा कि संविधान को बनने में दो साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसे लेकर काफी मीटिंग हुई और आखिर 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बन कर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों का भी रखें ध्यान : वैद्य

नालसा की योजनाएं भी बताईं

कुल्लू, 16 फरवरी (ब्यूरो): जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने रविवार को शाढ़ाबाई में ग्राम पंचायत मशग्रां और कलैहली के निवासियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अध्यक्षता में किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं लेकिन इनके साथ ही देश और समाज के प्रति हमारे कर्त्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ देश और समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से इसकी चपेट में आ रही है। इसे रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना आरंभ की है। इसके लिए प्रत्येक न्यायिक परिसर में फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं। इन कार्यालयों में आवेदन करके पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अनिल शर्मा ने भी लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता योजना और नालसा की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोहन सिंह गुलेरिया ने मोटर वाहन अधिनियम व शिवानी ने घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम के बारे में बताया। शिविर के दौरान मशग्रां की प्रधान सुनीता देवी, कलैहली की प्रधान शीला देवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।

कुल्लू : मशग्रां पंचायत के लोगों को मौलिक अधिकारों की जानकारी प्रदान करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश। (ब्यूरो)

शाढ़ाबाई में ग्राम पंचायत मशगां और कलैहली के निवासियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर

अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों का भी रखें ध्यान : पुरेंद्र

भुंतर, (मेघ सिंह कश्यप)। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने रविवार को शाढ़ाबाई में ग्राम पंचायत मशगां और कलैहली के निवासियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने की।

इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन इनके साथ ही देश और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। पुरेंद्र वैद्य ने कहा कि हमारे समाज में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से इसकी चपेट में आ रही है। इसे रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक बुराई को खत्म करने में आम लोगों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ऐसी बुराईयों के उन्मूलन के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना आरंभ की है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है तथा पात्र लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक न्यायिक परिसर में फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं। इन कार्यालयों में आवेदन करके पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अनिल शर्मा ने भी लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता योजना और नालसा की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोहन सिंह गुलेरिया ने मोटर वाहन अधिनियम, शिवानी ने घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम के बारे में बताया। शिविर के दौरान मशगां की प्रधान सुनीता देवी, कलैहली की प्रधान शीला देवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित थे।

7. DLSA Shimla

An Awareness Programme on Fundamental Duties organized at Cresent Sr. Sec. School Totu, Shimla.

An Awareness Programme on Fundamental Duties organized at Cresent Sr. Sec. School Totu, Shimla.

An Awareness Programme on Fundamental Duties organized at Govt. Senior Secondary School Ghanahatti Shimla.

An Awareness Programme on Fundamental Duties organized at Govt. Senior Secondary School Mehli Shimla.

8. DLSA Sirmaur

Training of Para Legal Volunteers and Resource Persons on Fundamental Duties and Preamble of the Constitution.

Awareness programme on Fundamental Duties and Legal Rights of Prisoners organized at Central Model Jail, Nahan for Jail Inmates.

Special lecture on Fundamental duties for the general public in G. P. Nihalgarh, Paonta Sahib.

Remand Counsel was on Fundamental Duties.

Awareness drive on Fundamental Duties in DAV Sirmour Sr. Secondary Public School, Paonta Sahib.

Awareness drive on Fundamental Duties in Govt. Sr. Secondary School, Nahan.

Awareness drive on Fundamental Duties at Nahan.

Awareness programmes for aanganwadi karyakarta and Panchayat representatives by the Para Legal Volunteer.

Awareness programmes for aanganwadi karyakarta and Panchayat representatives 0 by the Para Legal Volunteer.

Awareness programmes for aanganwadi karyakarta and Panchayat representatives by the Para Legal Volunteer.

Awareness Programmes for Labourers on Fundamental Duties at Nahan.

9. DLSA Solan

Public Awareness through Talks on Fundamental Duties at Gram Panchayat Anji Matla.

Public Awareness through Talks on Fundamental Duties at Gram Panchayat Gulhadi.

Public Awareness through Talks on Fundamental Duties at Gram Panchayat Batal.

Public Awareness through Talks on Fundamental Duties at Gram Panchayat Kunihar.

Public Awareness through Talks on Fundamental Duties at Gram Panchayat Kakadhatti.

10. DLSA Una

An awareness programme on Fundamental Duties organized at HIMCAMPES Law College, Badhera.

An awareness programme on Fundamental Duties for school students.

An awareness programme organized on Fundamental Duties for Advocates & Public Representatives.